

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्र. एफ 60(12)ग्रावि/नरेगा/शिका./वॉल पे./2020-21/पार्ट-1/848

जयपुर, दिनांक : 28 MAY 2020

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त (राजस्थान)।

विषय: जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायतों की सहज दृष्टया दीवारों पर महात्मा गांधी योजनान्तर्गत श्रम व सामग्री मद पर व्यय संबंधित सूचना की वॉल पेन्टिंग करवाने बाबत

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 25 (a) (2) व (3) में जनता सूचना प्रणाली के तहत निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं:-

- (2) **Display on prominent walls or public boards in the village:-** Job cards list, number of days of works provided and the wages paid to each job card holder; and entitlements provided under the act.
- (3) **Display through boards at the Gram Panchayat Office:-** Shelf of projects approved, year-wise works taken up or completed by Gram Panchayats and Line Departments, employment provided, funds received and expenditure, list of materials with quantities used in each work, rates at which the material was procured.

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये गये समस्त परिवारों का विवरण मय मजदूरी भुगतान तथा ग्राम पंचायत में करवाये गये कार्यों पर श्रम एवं सामग्री मद में हुए व्यय को मदवार निधारित प्रपत्र में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामवार सार्वजनिक भवनो/स्थानों की सहज दृष्टया दीवारों पर वॉल पेन्टिंग करवाये जाने के लिए विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा योजना के मास्टर सर्कुलर वर्ष 2019-20 में भी पारदर्शिता के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं। अतः जनता सूचना प्रणाली के तहत वाल पेन्टिंग का कार्य करवाते समय निम्न बिन्दुओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे :-

1. वॉल पेन्टिंग ग्राम पंचायत में ग्रामवार करवाई जावे, जिसमें प्रत्येक ग्राम के महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों का उल्लेख हो।
2. इस विभाग द्वारा दीवार लेखन के संबंध में समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में दीवार लेखन का कार्य इस प्रकार किया जावे कि प्रारंभ के कॉलम जैसे क्रम संख्या, परिवार के मुखिया/सदस्य का नाम, जॉब कार्ड संख्या, वर्षवार भुगतान के आगे ही पांच वर्ष का दीवार लेखांकन किया जावे। इस प्रकार प्रथम वर्ष के दीवार लेखन के पश्चात आगामी वर्ष केवल दो कॉलम में ही प्रविष्टि की जावे। एक बार कराई गई पेन्टिंग का काम कम से कम पांच वर्ष के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। यदि पांच वर्ष से पूर्व पेन्टिंग का कार्य खराब हो जाता है तो इसके लिए जिला स्तर के अधिकारी को शामिल करते हुए कमेटी बनाकर समीक्षा किया जाना आवश्यक है।
3. यदि दीवार लेखन को 5 वर्ष नहीं हुये है तो परिवार के मुखिया/सदस्य के नाम के आगे केवल दिनों की संख्या एवं वित्तीय वर्ष में किये गये मजदूरी भुगतान को अंकित किया जावे।
4. प्रथम वर्ष के दीवार लेखन के पश्चात आगामी वर्षों के लिए उपलब्ध कॉलम में मार्कर पेन आदि की सहायता से प्रविष्टियां करायी जा सकती हैं।
5. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के जॉब कार्ड को कम वार लिखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में नये श्रमिक जुड़ने पर उनके जॉब कार्ड को अलग दीवार पर क्रमवार लिखा जाकर अन्य प्रविष्टियां की जा सके।
6. कई जिलों में जिला स्तर से प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दीवार लेखन की दरों का निर्धारण कर दिया जाता है लेकिन पंचायत समितियों द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने की वजह से ठेकेदार द्वारा बड़े-बड़े अक्षरों में अधिकाधिक

स्थान का उपयोग करते हुए दीवार लेखन कर दिया जाता है। जिससे अनावश्यक रूप से सरकार पर अधिक दायित्व की स्थिति हो जाती है। अतः दीवार लेखन के समय अनावश्यक व्यय नहीं किया जाना सुनिश्चित करावे।

7. परिवार को उपलब्ध कराये गये रोजगार दिवस एवं राशि का आधार ग्रामवार रोजगार रजिस्टर को (रजिस्टर संख्या-iii) बनाया जावे।
8. यह सुनिश्चित किया जावे कि वॉल पेन्टिंग करवाने से पूर्व उक्त रजिस्टर को पूर्ण करवाकर, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर रजिस्टर पर करवा लिये गये हैं।
9. वॉल पेन्टिंग के अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट का उपयोग करते हुए सर्वसाधारण और स्टैक होल्डरों को अपनी ओर से स्वतः ही सूचना और दस्तावेजों का प्रकटीकरण किया जावे।
10. प्रत्येक वर्ष विकास अधिकारी से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में वॉल पेन्टिंग कर समस्त श्रमिकों के कार्य दिवसों एवं भुगतान की गई मजदूरी का लेखन कर दिया गया है।
11. विकास अधिकारी अपने अधीन समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों के प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त प्रमाण पत्र देंगे तथा अपने स्तर से रेण्डम आधार पर 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के दीवार लेखन की रोजगार रजिस्टर से मिलान कर जांच करेंगे।
12. जिला स्तर से 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के दीवार लेखन की रोजगार रजिस्टर से मिलान कर जांच की जावे।
13. प्रत्येक वार्ड के महात्मा गांधी नरेगा संबंधी जॉब कार्डों का ब्यौरा

क्र.सं.	जॉब कार्ड धारक का नाम (अंतिम चार अक्षर)	जॉब कार्ड संख्या	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
			दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12

14. प्रत्येक राजस्व गांव के लिए वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लिए सामग्री पर किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. सं.	कार्य का नाम (महाप 4)	कोड संख्या (अंतिम चार अक्षर)	प्रयुक्त सामग्री का ब्यौरा												
			कुल सिमेंट			कुल बजरी			कुल पत्थर			अन्य सामग्रियां			सामग्रियों पर किया गया कुल व्यय
			मात्रा	दर	राशि	मात्रा	दर	राशि	ट्राली	दर	राशि	मात्रा	दर	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

15. प्रत्येक राजस्व गांव के लिए वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्य स्थिति की सूची:


क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य आईडी	स्वीकृत राशि			व्यय की गई राशि			अवधि	कार्यस्थिति पूरे अक्षर
			मजदूर	सामग्री	कुल	मजदूर	सामग्री	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

16. पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल सिद्धान्त

मंत्रालय ने अधिनियम के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अनुपालनार्थ पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल सिद्धान्तों को अधिसूचित किया है। सभी नागरिकों को जानकारी की उपलब्धता समान रूप से मिलनी चाहिए और किसी भी नागरिक की जानकारी के उपयोग करने अथवा सुनवाई के अधिकार पर रोक लगाने वाले किसी भी प्रयास पर रोक लगनी चाहिए। कुछ सीमांत समूहों को विशेष रूप से सशक्त बनाने और सुविधा देने की जरूरत हो सकती है ताकि वे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।


विभाग में प्रशासनिक मद के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो रहा है। अतः सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि योजनान्तर्गत दीवार लेखन सम्बन्धी कार्य को अत्यधिक मितव्यतापूर्ण तरीके से प्रतिवर्ष सम्पन्न किया जावेगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही कर दीवार लेखन का कार्य दिनांक 31.07.2020 तक करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

मवदीय  
  
(पी.सी. किशन)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
6. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
9. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
10. अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
11. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

  
वित्तीय सलाहकार, ईजीएस